न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 129 / 2022

1 मुकेश कुमार पुत्र स्व. बंशीधर जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 बलवीर सिंह पुत्र स्व. बंशीधर जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बंशीधर निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
3/1 कमलेश उम्र 31 साल पत्नी राजेन्द्र निवासी गांव देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3/2 शिवा उम्र 3 साल पुत्र
3/3 हिमांशी उम्र 10 साल पुत्री
3/4 प्रियांशी उम्र 8 साल पुत्री
3/5 दिपांशी उम्र 5 साल पुत्री स्व. राजेन्द्र कुमार नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कमलेश पत्नी राजेन्द्र निवासी देवनगर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
4 मनकोरी पत्नी स्व. बंशीधर जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 श्योचन्द पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
2 दाताराम पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
3 ग्यारसी देवी पुत्री श्योपाल पत्नी जगदीश जाति गुर्जर निवासी ढाणी गराटिया डाबला रेल्वे स्टेशन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
4 मेवा देवी पुत्री श्योपाल पत्नी रामेश्वर जाति गुर्जर निवासी ढाणी थानावाली ग्राम डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

5 संतराम पुत्र मामराज जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
6 रमेश पुत्र बनवारी नवीरा मामराज जाति गुर्जर निवासी नई ढाणी ग्राम देवनगर पटवार हल्का नांगलिया गुर्जरवास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
7 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खेतड़ी राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2022 दावा संख्या 66/2011 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बशीर्षक बंशीधर वगै. बनाम श्योचन्द वगै. दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषे.

उपस्थिति :
1. श्री राजकुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 27.2.26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 66/2011 में पारित निर्णय दिनांक 18.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय मे वादीगण द्वारा एक वाद घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1531, 1532, 1533 वाके ग्राम देवनगर का पेश किया। विचारण

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भू-प्रबन्ध • सीकर •

न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर ना कर भारी भुल की है कि जमाबंदी संवत 2018—2021 में वादीगण/अपीलान्टस के पिता का नाम दर्ज रहा है और बिना किसी सक्षम अधिकारी के कोई भी प्रविष्टि हटाई नहीं जा सकती और न ही संशोधित की जा सकती। प्रकरण में बिना किसी आदेश के आगामी जमाबंदी में अपीलान्ट के पिता नाम हटा दिया गया, जो भारी भुल है। अपीलान्टस/वादीगण के पिता मामराज, श्योपाल का छोटा भाई है और पूर्वकाल में सभी भाईयों में से एक बड़े भाई के नाम ही जमाबंदियो/राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करवाया जाता था। लेकिन मौके पर कब्जा दोनों भाईयों का था और दोनों भाई काश्त करते थे। जमाबंदी संवत 2018—2021 से बखूबी साबित है। विचारण न्यायालय ने बिना कोई तनकीयात बनाए ही प्रकरण का निर्णय कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। कानूनन प्रकरण में तनकियां कायम कर, वादी की साक्ष्य लेकर तमाम तनकीयों को अपने निर्णय में वर्णन करके तनकी वाईज निर्णय करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने लैण्ड होल्डर तहसीलदार से कोई कब्जे काश्त की रिपोर्ट भी नहीं मंगवाई जो प्रकरण के निस्तारण के लिये आवश्यक है। वादीगण के 50 वर्षो से अधिक कब्जे के तथ्य को भी नजर अंदाज कर दिया गया है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी का निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2022 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त फरमाया जाकर वादीगण/अपीलान्टस को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश प्रदान करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय मे वादीगण द्वारा एक वाद घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 1531, 1532, 1533 वाके ग्राम देवनगर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2018–21 (प्रदर्श–3) में भूमि गत खसरा नम्बर 1236 रकबा 1 बीघा 3 बिश्वा स्योपाल पुत्र हरसाय कौम गूजर सा0देह स्योपाल मामराज पि. हरसाय गूजर सा.देह दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–4) के अवलोकन से साबित है कि भूमि गत खसरा नम्बर 1236, 1236 मि. से हाल खसरा नम्बर 1531, 1532, 1533 निर्मित हुहए है। ग्राम बाडलवास से ग्राम देवनगर नवसृजित होने पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1531, 1532, 1533 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है. रामचन्द्र श्योचन्द दाताराम पि. श्योपाल जाति गूजर सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। वादीगण द्वारा उनके हकपूर्वाधिकारी मामराज का उपकृषक के रूप में जमाबन्दी संवत 2018 खसरा नम्बर 1236 रकबा 1 बीघा 3 बिश्वा मे नाम दर्ज होने से उक्त वाद पत्र के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। लेकिन वादीगण की ओर जमाबंदी संवत 2018 (प्रदर्श–3) के अलावा अर्थात उसके बाद बनी निरन्तर जमाबंदीया तथा संवत 2018 से पूर्व की जमाबंदिया पेश नहीं की है जिसके अभाव में वादीगण का वाद साबित होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट ने फर्द के साथ सत्यप्रति जमाबंदी संवत 2012 से 2015 व 2014 से 2017 की प्रति प्रस्तुत की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय मे वादीगण द्वारा एक वाद घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 1531, 1532, 1533 वाके ग्राम देवनगर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2018–21 (प्रदर्श–3) में भूमि गत खसरा नम्बर 1236 रकबा 1 बीघा 3 बिश्वा स्योपाल पुत्र हरसाय कौम गूजर सा0देह स्योपाल मामराज पि. हरसाय गूजर सा.देह दर्ज रिकार्ड है। खसरा मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–4) के अवलोकन से साबित है कि भूमि गत खसरा नम्बर 1236, 1236 मि. से हाल खसरा नम्बर 1531, 1532, 1533 निर्मित हुए है। ग्राम बाडलवास से ग्राम देवनगर नवसृजित होने पर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1531, 1532, 1533 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 है. रामचन्द्र श्योचन्द दाताराम पि. श्योपाल जाति गूजर सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

वादीगण द्वारा उनके हकपूर्वाधिकारी मामराज का उपकृषक के रूप में जमाबन्दी संवत 2018 खसरा नम्बर 1236 रकबा 1 बीघा 3 बिश्वा मे नाम दर्ज होने से उक्त वाद पत्र के जरिये खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। विचारण न्यायालय के समक्ष संवत 2018 से आदिनांक तक विवादित भूमि पर वादी अपीलान्ट ने स्वयं की कब्जे काश्त को भी साबित नहीं किया गया है।

वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट ने फर्द के साथ सत्यप्रति जमाबंदी संवत 2012 से 2015 व 2014 से 2017 की प्रति प्रस्तुत की है। इन दस्तावेजात में कही भी वादी अपीलान्ट के पूर्वज का नाम दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी अपीलान्ट का वाद दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं माना जा सकता है।

वादीगण की ओर जमाबंदी संवत 2018 (प्रदर्श–3) के अलावा अर्थात उसके बाद बनी निरन्तर जमाबंदीया तथा संवत 2018 से पूर्व की जमाबंदिया पेश नहीं की है जिसके अभाव में वादीगण का वाद साबित होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 27.2.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर